

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(बिहार शहरी विकास अभिकरण)

॥ कार्यालय आदेश ॥

सं0सं0-04/RAY-05/2015- 446 / न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक- 21/9/16

कार्यालय आदेश सं0-123 सह पठित ज्ञापांक-2211 दिनांक-22.04.15 द्वारा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 7 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकायों को आवास एवं आधारभूत संरचना मद में प्रथम किस्त आवंटित की जा चुकी है। कार्यालय आदेश सं0-144 सह पठित ज्ञापांक-690 दिनांक-07.04.16 नगर निगम, गया को आवास मद में राशि विमुक्त की गयी। उरसी क्रम में नगर निगम, गया को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रू० में)					
क्र० सं०	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	आवास एवं आधारभूत संरचना मद में अबतक कुल विमुक्त राशि	आवास मद में विमुक्त की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, गया	गया फेज-1	7539.80	3506.24	500.00

- अतः उपरोक्त विवरणी के स्तंभ 06 में अंकित राशि संबंधित निकाय को योजना के कार्यान्वयन हेतु RAY के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जायेगी।
- योजना की पूर्णता एवं परियोजना की गुणवत्ता सर्वोपरी है। अतः नगर आयुक्त, नगर निगम, गया योजना का सघन पर्यवेक्षण करेंगे।
- गया, नगर निगम को आंतरिक व्यवस्था के तहत RAY योजना के अधीन अर्जित सूद की राशि से विमुक्त की जा रही है, विमुक्त राशि का समायोजन योजना के अधीन गया के लिए प्राप्त राशि से किया जायेगा।
- प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/RAY-05/2015- 2048 पटना, दिनांक- 21/9/16
प्रतिलिपि:-लेखापाल बुडा/टीम लीडर, SLTC, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक-04/RAY-05/2015- 2048 पटना, दिनांक- 21/9/16
प्रतिलिपि:-नगर आयुक्त, नगर निगम, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।

SK
21/9/16